

**F. No.12-22/2023-RTC/
GOVT. OF INDIA
M/o HEALTH & FAMILY WELFARE,
Dte. GENERAL OF HEALTH SERVICES,
RURAL HEALTH TRAINING CENTRE,**

Najafgarh, New Delhi-43

Dated: 20.06.2023

AUCTION NOTICE

Rural Health Training Centre (RHTC), Najafgarh, New Delhi-110043 invites sealed quotations for disposal of four old Toyota Qualis Vehicles No. DL-9CG 9780, DL-9CG 9781, DL-9CG 9782 and DL-9CG 9783 Model- 2002 on "As is where is basis". The vehicles can be inspected between 11.00 AM and 1.00 PM on 10th July, 2023. Quotation form containing detailed terms & conditions is available in RHTC Najafgarh website www.rhtcnajafgarh.in The quotation may be deposited in the Tender Box kept in Admin Block, RHTC Najafgarh on or before 14th July, 2023, 5.00PM. The quotations received in time will be opened at 2.30 PM on 17th July, 2023.




**(Dr. G. Kausalya)
D I R E C T O R**

**TERMS AND CONDITIONS FOR DISPOSAL OF OLD VEHICLES OF
RURAL HEALTH TRAINING CENTRE, NAJAFGARH, NEW DELHI-110043.**

1. Interested Parties may submit their highest price for the vehicle in a sealed cover latest by 5.00PM on 14th July, 2023. The inner cover containing quotations and other relevant documents along with DD/Pay Order towards Earnest Money Deposit (EMD) should be sealed properly. The inner cover should be put in on outer cover and may be dropped in the box kept at the Administration Block, Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi. Both the inner and the outer covers should be super scribed in bold Capital letter **“QUOTATIONS FOR DISPOSAL OF OLD VEHICLE OF RURAL HEALTH TRAINING CENTRE, NAJAFGARH”**.
2. The disposal of vehicle shall be strictly on **“AS IS WHERE IS BASIS”** and no guarantee or certificate of its worthiness or quality will be given by RHTC. The condition of the vehicle can be inspected physically on 10.07.2023 between 11:00 A.M. to 1:00 P.M. at RHTC, Najafgarh, New Delhi by contacting Transport Officer, RHTC. Tender forms with terms and conditions may be downloaded from the Departmental website (www.rhtcnajafgarh.in)
3. The base price of auction for all the four vehicles will be Rs. 1,45,600/- (Rupees one lakh forty five thousand and six hundred only) @ Rs. 36400/- (Rupees thirty six thousand four hundred only) per vehicle.
4. The quotation should be accompanied by earnest money i.e. Rs. 4500/- (Rupees four thousand five hundred only) for all four vehicles. The earnest money can be deposited in the form of Bank Draft issued in favour of **“PAO, DGHS, NEW DELHI”**. The bank draft should be attached with the quotation letter failing which the quotation shall not be considered at all. If the highest tenderer/successful tenderer accepted by the competent authority in this office fails to deposit the sale price within the prescribed time limit i.e. within 7 working days from the date of intimation to the tenderer(s) declared as highest bidder by the competent authority, his earnest money will be forfeited. In case the offer is withdrawn by any tenderer, the earnest money deposited by him shall be forfeited.
5. EMD of all (successful and unsuccessful) bidder shall be refunded after completion of auction process.
6. The delivery of the sold vehicle will be arranged only after the successful bidder submits documentary evidence in support of residential status (Aadhar Card/Ration Card/Voters Identity Card in case of individual and Registration Certification in case of firms etc.)
7. The sold vehicle will be removed by the successful bidder(s) within seven days from the date of intimation to the tenderer(s) declared as highest bidder by the competent authority. No assistance/transportation will be provided by this office. Permission to take out the disposed vehicle from premises will not be allowed on holidays, Saturdays and Sundays, etc.

8. The successful bidder will also be responsible for getting the Registration Certificate of the vehicle transferred in his name at his own cost expeditiously. It will be the sole responsibility of the buyer for getting the necessary paper works done in accordance with the law and as per the provisions of the Motor Vehicles Act (amended from time to time) applicable for Transport Authority of Govt. of NCT of Delhi. This office will not be responsible for any lapse on the part of the buyer in this regard.
9. EMD of the firms rescinding their offer, withdrawing or abrogating after submitting the bid shall stand forfeited. Decision of this office shall be final in this regard.
10. RHTC, Najafgarh reserves the right to reject all or any tender in whole or part without assigning any reasons thereof.
11. EMD of unsuccessful bidder shall be returned maximum within six weeks from the date of declaration of H1 bidder or successful bidder.
12. The bidder is required to reveal his full name/name of the authorized signatory of the firm/name of father, full postal address, telephone number & mobile number.
13. Disputes, if any, shall be subject to jurisdiction in the Court of Delhi only.
14. If the highest quoting firm fails to honour the bid; the contract will be cancelled & its EMD shall be forfeited. In such an event, an opportunity shall be given to the next highest quoting eligible tenderer (H-2 quoting party) to complete the bid provided it is prepared to accept the prices offered by the H-1 party. In case of any dispute, decision of this office shall be final.
15. Tender form should be signed in ink by the authorized signatory only. Photocopy or unsigned quotations or quotations not signed by authorized signatory shall be rejected.
16. Tendering firm shall alone be responsible for furnishing any false or wrong information and the consequences or loss thereof.
17. Quotation should be offered in prescribed tender form as given at Annexure-1.


(Dr. G. Kausalya)
D I R E C T O R

Tender form for offering rates for disposal of old vehicles

(Due date on 17.07.2023; 5:00 p.m.)

Amount of earnest money deposit i.e. Rs. 4,500/-	Rs.
Participation Demand Draft/ Pay Order	No.
	Date:
	Issuing Bank:
	Branch:
Name of the Bidder	
Address of the Bidder	
Telephone No(s)	

Note: Address given above should be complete and must be supported with proof (attested copies of Aadhar Card/Ration Card/Voter ID Card, latest Telephone/Electricity Bill, Bank Pass Book copy). The bidder should always be available for receiving communication at the given address:

2. I/we submit my/our highest quotation for the following old staff car(s) offered for sale by RHTC Najafgarh, New Delhi through auction:-

Sl. No.	Registration No. of the Vehicle	Model	Manufacture Date	Registration Date	Amount offered in Rs.
1.	DL 9CG 9780	Qualis 2- 4D	12/2002	10.08.2005	
2.	DL 9CG 9781	Qualis 2- 4D	12/2002	10.08.2005	
3.	DL 9CG 9782	Qualis 2- 4D	12/2002	10.08.2005	
4.	DL 9CG 9783	Qualis 2- 4D	12/2002	10.08.2005	

3. I/we have carefully read the terms and conditions of the offer, particularly regarding Earnest Money and agree to abide by these in letter and spirit. The decision of the Director, RHTC, Najafgarh, New Delhi on any dispute arising out of the offer shall be binding on me/us.

4. I/we agree to the forfeiture of the earnest money if I/we fail to comply with all or any of the terms and conditions in whole or in part as laid down in the Auction Notice No. F.NO.12-22/2023-RTC/....., dated 20.06.2023, which would constitute and have force of contract between me/us and the Director, RHTC if I/We/am/are declared a successful bidder.

5. I/We hereby undertake that the vehicle will be used for bonafide/ lawful purpose only.

(Signature)

Name:

Place:

Date:

मि.सं.12-22/2023-ग्रा.स्वा/
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र


नजफगढ़, नई दिल्ली-110043

दिनांक
: 20.06.2023

नीलामी सूचना

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 चार पुरानी टॉयटा क्वालिस गाड़ियों DL-9CG 9780, DL-9CG 9781, DL-9CG 9782 और DL-9CG 9783 मॉडल- 2002, की “जैसा है जहाँ है” के आधार पर निपटान हेतु सील बंद कोटेशन आमंत्रित करता है। गाड़ियों का निरीक्षण दिनांक 10 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे के बीच में किया जा सकता है। कोटेशन फॉर्म, विस्तृत नियम और शर्तों के साथ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन की वेबसाइट- www.dghs.gov.in पर उपलब्ध है। कोटेशन, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ में स्थित टेंडर बॉक्स में 14 जुलाई 2023 को व उससे पहले अपराह्न 5:00 बजे तक जमा की जा सकती है। समय से जमा की गई कोटेशन को दिनांक 17 जुलाई

, 2023 को अपराह्न 2.30 बजे खोला जाएगा।


(डॉ. जी. कौशल्या)
निदेशक

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 की पुराने गाड़ियों के निपटान से संबंधित नियम और शर्तें।

1. इच्छुक पार्टियों गाड़ियों के लिए अपना अधिकतम मूल्य सील बंद लिफाफे में दिनांक 14 जुलाई , 2023 अपराह्न 5:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। कोटेशन, जरूरी दस्तावेज और बयाना राशि जमा (EMD) डी.डी./पे ऑर्डर अंदर के सिल बंद लिफाफे में होने चाहिए और इस लिफाफे को एक अन्य लिफाफे में बंद करके ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में स्थित टेंडर बॉक्स में डाला जाए। दोनों लिफाफों पर बड़े-बड़े और साफ अक्षरों में **"ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ की पुरानी गाड़ियों के निपटान हेतु कोटेशन"** लिखा होना चाहिए।

2. गाड़ियों का निपटान "जैसा है जहाँ है" के आधार पर होगा औप इनकी गारंटी अथवा योग्यता व कुशलता का प्रमाण पत्र ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ के द्वारा नहीं दिया जाएगा। गाड़ियों की स्थिति का निरीक्षण दिनांक 10 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे के बीच में परिवहन अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ से संपर्क कर किया जा सकता है। टेंडर फॉर्म, नियम और शर्तों के साथ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन की वैबसाइट- www.dghs.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है।

3. चारों वाहनों की नीलामी का आधार मूल्य 1,45,600/- (रुपए एक लाख पैंतालीस हजार छह सौ मात्र) @ रु. 36400/- (छत्तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) प्रति वाहन होगा।

4. कोटेशन के साथ ₹ 4,500/- (रुपये चार हजार पाँच सौ मात्र) सभी चार वाहनों की बयाना राशि (earnest money) भी संलग्न की जानी चाहिए। बयाना राशि "PAO, DGHS, NEW DELHI" के नाम देय बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा की जाएगी। कोटेशन के साथ बैंक ड्रॉफ्ट अवश्य संलग्न किया जाए अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अधिकतम कीमत के सफलतम टेंडरदाता द्वारा नियत समय (सक्षम प्राधिकारी द्वारा सफलतम टेंडरदाता को प्राप्ति की सूचना देने के सात दिनों के अन्दर) पर गाड़ियों की कीमत जमा नहीं किए जाने की स्थिति में बयाने की राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यदि किसी टेंडरदाता द्वारा टेंडर वापस लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

5. सभी (सफल और असफल) टेंडरदाता की बयाना राशि (EMD) गाड़ियों की बिक्री की प्रक्रिया पूर्ण होने पर लौटा दी जाएगी।

6. बिकी हुई गाड़ियों की सपुर्दिगी सफलतम टेंडरदाता के द्वारा आवासिय स्थिति की जानकारी से संबंधित दस्तावेज (व्यक्ति विशेष की स्थिति में- जैसे आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आदि और किसी फर्म के लिए उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र) के जमा करने के उपरांत की जाएगी।

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्चतम टेंडरदाता की घोषणा के बाद सफल टेंडरदाता को विक्रय की गई गाड़ियों को सात दिनों के अंदर संस्थान से ले जाना पड़ेगा। गाड़ियों को ले जाने के लिए कोई भी सहायता/ परिवहन सुविधा इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। बेची गई गाड़ियों को सरकारी अवकाश, शनिवार और रविवार को ले जाने की अनुसति नहीं दी जाएगी।

8. सफलतम टेंडरदाता अपने खर्च पर गाड़ियों का पंजीकरण अपने नाम पर जल्द से जल्द कराने के लिए जिम्मेदार होगा। विक्रय की गई गाड़ियों का खरीददार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण द्वारा मान्य मोटर वाहन अधिनियम (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों और कानून के अनुसार सभी जरूरी कागजी कार्रवाई कराने का जिम्मेदार होगा। यह कार्यालय खरीददार द्वारा इस संदर्भ की कई किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. बोली जमा करने के बाद अपने प्रस्ताव को रद्द करने, वापस लेने या निरस्त करने वाली फर्मों की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में इस कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

10. ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नज़फगढ़ सभी टेंडर या किसी एक सम्पूर्ण टेंडर अथवा उसके किसी भाग को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार रखता है।

11. असफल टेंडरदाता की बयाना राशि (EMD) सफल होने वाले टेंडरदाता (H1) का नाम घोषित होने की तिथि के अधिकतम छः सप्ताह के अंदर वापिस कर दी जाएगी।

12. टेंडरदाता के द्वारा अपना पूरा नाम/फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का नाम, अपने पिता का नाम, डाक का पता, टेलीफोन और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी।

13. किसी भी तरह के विवाद के मामले में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

14. यदि अधिकतर मूल्य लगाने वाली फर्म अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती है तो संविदा (contract) को रद्द कर दिया जाएगा और टेंडरदाता की बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में, दूसरी अधिकतम मूल्य लगाने वाली टेंडरदाता फर्म (H2) को अनुबंध की शर्तों को पूरा करने का अवसर दिया जाएगा। यदि किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

15. टेंडर (निविदा) फॉर्म प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए। छायाप्रति या अहस्ताक्षरित कोटेशन अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित न होने की स्थिति में टेंडर (निविदा) को रद्द कर दिया जाएगा।

16. टेंडरदाता फर्म किसी भी असत्य व गलत सूचना देने और उससे होने वाली परेशानी अथवा नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी।

17. कोटेशन अनुलग्नक-1 में निर्धारित टेंडर फार्म के अनुरूप होना चाहिए।

जी. कौशल्या
(डॉ. जी. कौशल्या)
निदेशक

पुरानी गाड़ियों के निपटान के लिए कीमत (मूल्य) लगाने से संबंधित टेंडर फॉर्म (नियत तारीख 14.07.2023 को अपराह्न 05:00 बजे)

बयाना राशि	₹ 4,500/- (रुपये चार हजार पाँच सौ मात्र)
डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर का ब्यौरा	डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर की संख्या:
	जारी करने की तिथि:
	जारी करने वाले बैंक का नाम:
	बैंक की शाखा का स्थान:
टेंडरदाता का नाम	
पता	
फोन नं/मोबाईल नं	

1. टेंडरदाता द्वारा दिया गया पता पूर्ण और प्रमाण के साथ होना चाहिए (आधार कार्ड/राशन कार्ड/पहचान पत्र/नवीनतम टेलिफोन या बिजली का बिल/बैंक पासबुक आदि की सत्यापित प्रति)। टेंडरदाता को टेंडर से संबंधित प्रत्येक सूचना उसके द्वारा दिए गए पते पर ही दी जाएगी।

2. मैं/हम, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली द्वारा नीलामी के माध्यम से बेची जा रही पुरानी गाड़ियों के लिए अपनी अधिकतम कीमत अंकित कर रहा हूँ/रहे हैं जो इस प्रकार है:

क्रम सं.	गाड़ी की पंजीकरण संख्या	मॉडल (नमूना)	निर्माण तिथि	पंजीकरण तिथि	अधिकतम कीमत (रुपये में)
1.	DL 9CG 9780	Qualis 2-4D	12/2002	10.08.2005	
2.	DL 9CG 9781	Qualis 2-4D	12/2002	10.08.2005	
3.	DL 9CG 9782	Qualis 2-4D	12/2002	10.08.2005	
4.	DL 9CG 9783	Qualis 2-4D	12/2002	10.08.2005	

3. मैंने/हमने, नीलामी, बयाना राशि आदि से संबंधित सभी नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और इसका पालन करूंगा/करेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हम पर बाध्य होगा।

4. यदि मुझे/हमें सफल घोषित किया जाता है तो मेरे/हमारे और निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ के बीच का अनुबंध दिनांक 14.07.2023 की नीलामी सूचना मि.स.12-22/2023-ग्रा.स्वा./__ में निर्धारित सभी टेंडर से संबंधित नियम और शर्तों में से सभी या किसी एक या उसके किसी भाग को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बयाना राशि को जब्त किए जाने की सहमति देता हूँ/देते हैं।

5. मैं/हम, यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल प्रमाणिक/विधियुक्त तरीके से किया जाएगा।

स्थानः
तारीखः

हस्ताक्षर
(नाम)